

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ **636** /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक **25** जनवरी 2020
पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	बृजेन्द्र सिंह भण्डारी	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 कोठा, गैरसैण, चमोली	दुर्गम	रा0इ0का0 मणिपुर, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम
	दीप चन्द्र तिवारी	अंग्रेजी	रा0इ0का0 मणिपुर, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 कोठा, गैरसैण, चमोली	दुर्गम
2	राम सिंह रावत	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 दिगोलीखाल, नैनीडांडा, पौड़ी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 मोक्षण, नैनीडांडा, पौड़ी	दुर्गम
	खुशाल सिंह	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 मोक्षण, नैनीडांडा, पौड़ी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 दिगोलीखाल, नैनीडांडा, पौड़ी	दुर्गम
3	श्री सुशील नौटियाल	कला	रा0इ0का0 बंगियाल, थौलधार, टिहरी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 मल्ला, भटवाडी, उत्तरकाशी	दुर्गम
	कु0 विनीता नौटियाल	कला	रा0उ0मा0वि0 मल्ला, भटवाडी, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 बंगियाल, थौलधार, टिहरी	दुर्गम
4	श्रीमती प्रीति	कला	रा0इ0का0 गरवाणगांव, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 काटल, जौनपुर, टिहरी	दुर्गम
	मोर सिंह	कला	रा0इ0का0 काटल, जौनपुर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 गरवाणगांव, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
5	श्री मनवीर	गणित	रा0इ0का0 गौमुख, देवप्रयाग, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम
	श्री हरीश गैरोला	गणित	रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 गौमुख, देवप्रयाग, टिहरी	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0स0/सेवा.अराज./ 11913-24 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली भांति परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ **637** /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक **25** जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आंगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	पूजा नेगी	विज्ञान	रा0इ0का0 श्रीकालखाल, डुण्डा उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 हर्षिल, भटवाडी, उत्तरकाशी	दुर्गम
	श्री निर्मल चमोली	विज्ञान	रा0इ0का0 हर्षिल, भटवाडी, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 श्रीकालखाल, डुण्डा उत्तरकाशी	दुर्गम
2	अनुराधा डोबरियाल	विज्ञान	रा0इ0का0 दीनगांव, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 गडखाटल, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम
	प्रवीण नौटियाल	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 गडखाटल, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 दीनगांव, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम
3	कु0 गीता भट्ट	विज्ञान	रा0इ0का0 केराड, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 कालों, पाबों, पौडी	दुर्गम
	शैलेन्द्र प्रताप सिंह	विज्ञान	रा0इ0का0 कालों, पाबों, पौडी	दुर्गम	रा0इ0का0 केराड, चकराता, देहरादून	दुर्गम
4.	सुनील कुडियाल	विज्ञान	रा0इ0का0 जसपुर, बीरोंखाल, पौडी	दुर्गम	रा0इ0का0 आछरीखुण्ट, कीर्तिनगर, टिहरी	दुर्गम
	योगेश कुमार	विज्ञान	रा0इ0का0 आछरीखुण्ट, कीर्तिनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 जसपुर, बीरोंखाल, पौडी	दुर्गम

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
5	मुकेश लाल	विज्ञान	रा0इ0का0 कोट कण्डारा, कर्णप्रयाग, चमोली	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 किरोडा, जखोली, रूद्रप्रयाग	दुर्गम
	रीना कन्याल	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 किरोडा, जखोली, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0इ0का0 कोट कण्डारा, कर्णप्रयाग, चमोली	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौडी

पृ0स0/सेवा.अराज./ 11925-36 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्ताकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली भांति परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ **630** /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक **25** जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	यशपाल सिंह नेगी	व्यायाम	रा0इ0का0 मुन्धौल, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 बिनसौन, चकराता, देहरादून	दुर्गम
	रामलाल	व्यायाम	रा0इ0का0 बिनसौन, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 मुन्धौल, चकराता, देहरादून	दुर्गम
2	किरण नौटियाल	व्यायाम	रा0इ0का0 सावडा, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम
	उमेश सिंह	व्यायाम	रा0इ0का0 कलोगी, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 सावडा, चकराता, देहरादून	दुर्गम
3	रघुराज जोशी	व्यायाम	रा0इ0का0 टिकोची, मोरी, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 कोटधार गमरी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम
	रामेश्वर सिंह चौहान	व्यायाम	रा0इ0का0 कोटधार गमरी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 टिकोची, मोरी, उत्तरकाशी	दुर्गम
4	अजय प्रकाश	व्यायाम	रा0इ0का0 जोगथ, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 संगलाई, भटवाडी, उत्तरकाशी	दुर्गम
	सुरेन्द्र सिंह रावत	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 संगलाई, भटवाडी, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 जोगथ, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)

क्र० सं०	अध्यापक / अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
5	राजीव कठैत	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० गुणेडी, रिखणीखाल, पौडी	दुर्गम	रा०इ०का० बैजवाडी, कीर्तिनगर, टिहरी	दुर्गम
	चित्रपाल सिंह	व्यायाम	रा०इ०का० बैजवाडी, कीर्तिनगर, टिहरी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० गुणेडी, रिखणीखाल, पौडी	दुर्गम
6	उर्मिला कण्डवाल	व्यायाम	रा०इ०का० कचटा गांगरौ, कालसी, देहरादून	दुर्गम	रा०इ०का० उज्जवलपुर, कर्णप्रयाग, चमोली	दुर्गम
	उमेश चन्द्र	व्यायाम	रा०इ०का० उज्जवलपुर, कर्णप्रयाग, चमोली	दुर्गम	रा०इ०का० कचटा गांगरौ, कालसी, देहरादून	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट) 25/1/20

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौडी

पृ०स० / सेवा.अराज. / 11937-48

/3क(2)/पारस्परिक स्था. / 2019-20 दिनांक उक्ताकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली भाँति परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहाँ से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट) 25/1/20

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 639 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020
पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से दुर्गम श्रेणी)


निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	सुनील कुमार	हिन्दी	रा0इ0का0 क्वांसी, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 बेरनी, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	यशपाल सिंह	हिन्दी	रा0इ0का0 बेरनी, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 क्वांसी, चकराता, देहरादून	दुर्गम
2	गुरुदेव सिंह	हिन्दी	रा0इ0का0 देवताधार औण, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 देवजानी, मोरी, उत्तरकाशी	दुर्गम
	प्रवीण कुमार	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 देवजानी, मोरी, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 देवताधार औण, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम
3	मनोरथ प्रसाद	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 जयखाल बोरगांव, पोखडा, पौड़ी	दुर्गम	रा0इ0का0 खनाना, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	नरेन्द्र कुमार	हिन्दी	रा0इ0का0 खनाना, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 जयखाल बोरगांव, पोखडा, पौड़ी	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ०स०/सेवा.अराज./ 11949-60 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली भांति परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 640 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	कुंवर सिंह	सामान्य	रा0इ0का0 उप्पू, थौलधार, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 टीला, थलीसैण, पौड़ी	दुर्गम
	धनेन्द्र सिंह	सामान्य	रा0इ0का0 टीला, थलीसैण, पौड़ी	दुर्गम	रा0इ0का0 उप्पू, थौलधार, टिहरी	दुर्गम
2	नारायण दत्त शर्मा	सामान्य	रा0इ0का0 मेहरावना, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 त्यूणी, चकराता, देहरादून	दुर्गम
	पूरन सिंह	सामान्य	रा0इ0का0 त्यूणी, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 मेहरावना, चकराता, देहरादून	दुर्गम
3	गुलशेर अली	सामान्य	रा0इ0का0 मुन्धौल, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 कोटा तपलाड, चकराता, देहरादून	दुर्गम
	केशवानन्द	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 कोटा तपलाड, चकराता, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 मुन्धौल, चकराता, देहरादून	दुर्गम
4	श्रीमती शीला पुरषोडा	सामान्य	रा0इ0का0 भैस्यारों, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 मंजकोट नगुण, थौलधार, टिहरी	दुर्गम
	श्री अनूप उनियाल	सामान्य	रा0इ0का0 मंजकोट नगुण, थौलधार, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 भैस्यारों, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
5	श्रीमती सुषमा विष्ट	सामान्य	रा0इ0का0 खालसी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0इ0का0 ओखलाखाल, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम
	श्री सुनील प्रसाद	सामान्य	रा0इ0का0 ओखलाखाल, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 खालसी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	दुर्गम

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
6	पूनम नेगी	सामान्य	रा०उ०मा०वि० सौन्दी, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० मंझकोट, थौलधार, टिहरी	दुर्गम
	गीता नेगी	सामान्य	रा०उ०मा०वि० मंझकोट, थौलधार, टिहरी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० सौन्दी, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम
7	राजेन्द्र सिंह	सामान्य	रा०उ०मा०वि० कोठा, गैरसैण, चमोली	दुर्गम	रा०इ०का० आलकोट, नारायणबगड, चमोली	दुर्गम
	गबर सिंह	सामान्य	रा०इ०का० आलकोट, नारायणबगड, चमोली	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० कोठा, गैरसैण, चमोली	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

मण्डवाल मण्डल पौडी

पृ०स०/सेवा.अराज./ 11961-72 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली भांति परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

मण्डवाल मण्डल पौडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 642 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	राजेन्द्र कुमार चौबे	सामान्य	रा0इ0का0 इठारना, डोईवाला, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 दूधली, डोईवाला, देहरादून	सुगम
	विनोद कुमार	सामान्य	रा0इ0का0 दूधली, डोईवाला, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 इठारना, डोईवाला, देहरादून	दुर्गम
2	आशीष भण्डारी	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 खुब्बनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	सुगम	रा0इ0का0 तौलीसैण मुखेम, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम
	मौ0 फैजान	सामान्य	रा0इ0का0 तौलीसैण मुखेम, प्रतापनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 खुब्बनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	सुगम
3	विक्रम सिंह रावत	सामान्य	रा0इ0का0 कुम्भीचौड, दुगड्डा, पौडी	सुगम	रा0उ0मा0वि0 बरस्वार, जयहरीखाल, पौडी	दुर्गम
	राकेश भट्ट	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 बरस्वार, जयहरीखाल, पौडी	दुर्गम	रा0इ0का0 कुम्भीचौड, दुगड्डा, पौडी	सुगम


(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौडी

पू0स0/सेवा.अराज./ 11985-96 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट) 25/11/20
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 643 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवार्ये-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्था कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	भूपेन्द्र सिंह	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 सिंधवालगांव, रायपुर, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 मालदेवता, रायपुर, देहरादून	सुगम
	अजीत कुमार	व्यायाम	रा0इ0का0 मालदेवता, रायपुर, देहरादून	सुगम	रा0उ0मा0वि0 सिंधवालगांव, रायपुर, देहरादून	दुर्गम
2	त्रिभुवन सिंह बिष्ट	व्यायाम	रा0इ0का0 गुजराडा, रायपुर, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 भगद्वारीखाल, रायपुर, देहरादून	दुर्गम
	सत्यदर्शन सिंह रावत	व्यायाम	रा0इ0का0 भगद्वारीखाल, रायपुर, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 गुजराडा, रायपुर, देहरादून	सुगम
3	रवीन्द्र सिंह	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 रामपुरकला, सहसपुर, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 बुरांसखण्डा, रायपुर, देहरादून	दुर्गम
	सलीम मोहम्मद	व्यायाम	रा0इ0का0 बुरांसखण्डा, रायपुर, देहरादून	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 रामपुरकला, सहसपुर, देहरादून	सुगम
4	चन्द्रपाल	व्यायाम	रा0इ0का0 तिमली, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 पशुलोक, डोईवाला, देहरादून	सुगम
	ममता पैन्थूली	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 पशुलोक, डोईवाला, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 तिमली, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
5	अरविन्द सिंह नेगी	व्यायाम	रा०इ०का० निरंजनपुर, लक्सर, हरिद्वार	सुगम	रा०उ०मा०वि० टिंगरी, चम्बा, टिहरी	दुर्गम
	योगराज सिंह	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० टिंगरी, चम्बा, टिहरी	दुर्गम	रा०इ०का० निरंजनपुर, लक्सर, हरिद्वार	सुगम
6	सुरेन्द्र कुमार	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० टाटवाला, बहादुराबाद, हरिद्वार	सुगम	रा०उ०मा०वि० क्यारा जमोला, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	धर्मवीर सिंह	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० क्यारा जमोला, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० टाटवाला, बहादुराबाद, हरिद्वार	सुगम
7	राजीव गौड	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० रणसुरा, बहादुराबाद, हरिद्वार	सुगम	रा०उ०मा०वि० बांसकाटल, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	आलोक सिंह	व्यायाम	रा०उ०मा०वि० बांसकाटल, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा०उ०मा०वि० रणसुरा, बहादुराबाद, हरिद्वार	सुगम
8	अजीत कुमार	व्यायाम	रा०इ०का० माणा घिघराण, दशोली, चमोली	सुगम	रा०इ०का० देवखाल, दशोली, चमोली	दुर्गम
	रघुनाथ सिंह बुटोला	व्यायाम	रा०इ०का० देवखाल, दशोली, चमोली	दुर्गम	रा०इ०का० माणा घिघराण, दशोली, चमोली	सुगम
9	शैलेन्द्र सिंह	व्यायाम	रा०इ०का० लांघा, विकासनगर, देहरादून	सुगम	रा०इ०का० लखवाड, कालसी, देहरादून	दुर्गम
	महेन्द्र कुमार	व्यायाम	रा०इ०का० लखवाड, कालसी, देहरादून	दुर्गम	रा०इ०का० लांघा, विकासनगर, देहरादून	सुगम
10	दिनेश गुसाईं	व्यायाम	रा०इ०का० धारकोट, जाखणीधर, टिहरी	दुर्गम	रा०इ०का० थत्पूड, जौनपुर, टिहरी	सुगम
	दिनेश सिंह	व्यायाम	रा०इ०का० थत्पूड, जौनपुर, टिहरी	सुगम	रा०इ०का० धारकोट, जाखणीधर, टिहरी	दुर्गम
11	नरेश मोहन भट्ट	व्यायाम	रा०इ०का० नागराजाधार, चम्बा, टिहरी	दुर्गम	रा०इ०का० रानीचौरी, चम्बा, टिहरी	सुगम
	यशपाल सिंह रावत	व्यायाम	रा०इ०का० रानीचौरी, चम्बा, टिहरी	सुगम	रा०इ०का० नागराजाधार, चम्बा, टिहरी	दुर्गम

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
12	धनश्याम आर्य	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	सुगम	रा0उ0मा0वि0 पिपाया, कालसी, देहरादून	दुर्गम
	पूजा सिंह	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 पिपाया, कालसी, देहरादून	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 शेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	सुगम
13	नरगिस इरफान	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 कनबुआ, कालसी, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 हरियावाला, सहसपुर, देहरादून	सुगम
	चन्द्र किशोर नौटियाल	व्यायाम	रा0इ0का0 हरियावाला, सहसपुर, देहरादून	सुगम	रा0उ0मा0वि0 कनबुआ, कालसी, देहरादून	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट) 25/11/20

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0स0/सेवा.अराज./ 11997-12008/3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्ताकितं।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट) 25/11/20

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 644 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	रजनीश मैठाणी	गणित	रा0उ0मा0वि0 स्यूर बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0इ0का0 तिलकनगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम
	सर्वेश्वरानन्द भट्ट	गणित	रा0इ0का0 तिलकनगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0उ0मा0वि0 स्यूर बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम
2	अनुसूया प्रसाद जोशी	गणित	रा0इ0का0 चौलोसैण, पाबौ, पौड़ी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 काण्डा, यमकेश्वर, पौड़ी	सुगम
	भूपेन्द्र सिंह नेगी	गणित	रा0उ0मा0वि0 काण्डा, यमकेश्वर, पौड़ी	सुगम	रा0इ0का0 चौलोसैण, पाबौ, पौड़ी	दुर्गम
3	अनिल सिंह	गणित	रा0इ0का0 जखाल भरदार जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 डांगी भरदार, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम
	श्री सतीश चन्द्र	गणित	रा0उ0मा0वि0 डांगी भरदार, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0इ0का0 जखाल भरदार जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम

(गहावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू0स0/सेवा.अराज./ 12009-20 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्ताकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट) 20

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 645 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रकाश चन्द्र शाह	विज्ञान	रा0इ0का0 जाख, कर्णप्रयाग, चमोली	दुर्गम	रा0इ0का0 कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली	सुगम
	रमेश चन्द्र	विज्ञान	रा0इ0का0 कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली	सुगम	रा0इ0का0 जाख, कर्णप्रयाग, चमोली	दुर्गम
2	अनिल कुकरेती	अंग्रेजी	रा0इ0का0 चाका क्वीली, नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम	रा0इ0का0 घेराधार, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
	महाराज सिंह	अंग्रेजी	रा0इ0का0 घेराधार, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 चाका क्वीली, नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम
3	श्रीमती नीरज कैन्तुरा	कला	रा0इ0का0 भगद्वारीखाल, रायपुर, देहरादून	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 डोईवाला, डोईवाला, देहरादून	सुगम
	राकेश चन्द्र जखमोला	कला	रा0उ0मा0वि0 डोईवाला, डोईवाला, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 भगद्वारीखाल, रायपुर, देहरादून	दुर्गम
4	रीना नैथानी नौटियाल	कला	रा0इ0का0 घोडाखुरी, जोनपुर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 गुजराडा, रायपुर, देहरादून	सुगम
	अनिल प्रसाद नौटियाल	कला	रा0इ0का0 गुजराडा, रायपुर, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 घोडाखुरी, जोनपुर, टिहरी	दुर्गम

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0स0/सेवा.अराज./ 12021-32/3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 646 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13) /2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तंक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सुनीता	सामान्य	रा0इ0का0 बंजारावाला, रायपुर, देहरादून	सुगम	रा0उ0मा0वि0 सरोना, रायपुर, देहरादून	दुर्गम
	शैलेन्द्र थापा	सामान्य	रा0उ0मा0वि0 सरोना, रायपुर, देहरादून	दुर्गम	रा0इ0का0 बंजारावाला, रायपुर, देहरादून	सुगम

(महावीर सिंह बिष्ट) 25/1/20

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0स०/सेवा.अराज./ 12033-44 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।

10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमत्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

मढ़वाल मण्डल पौडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 641 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक 25 जनवरी 2020

पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम श्रेणी)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/30309/रा0शि0सं0/2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के द्वारा शासनादेश संख्या 981/XXIV-B-1/202-31(01)/2018 में प्रदत्त अनुमति एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 18(3) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (एल0टी0) का उनके नाम के सम्मुख कॉलम- 6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम श्रेणी के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के कोटिकरण में यदि कोई विसंगति पाई जाती है, अथवा कोई अभ्यर्थी कॉलम- 4 में अंकित विद्यालय में कार्यरत न हो तो सम्बन्धित के सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। शासनादेश संख्या/356/XXX(2)/2019/30(13)/2017 टी0सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2019 के बिन्दु 06 के अनुसार ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक जो इस सत्र में अपनी पूर्व दुर्गम तैनाती स्थान पर रहने के इच्छुक थे उनके सम्बन्ध में आगामी 05 स्थानान्तरण सत्र अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए दुर्गम से सुगम श्रेणी के विद्यालयों में स्थानान्तरण के लिए विचार नहीं किया जायेगा। अतः सूची में यदि ऐसे शिक्षक जिनका कि दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु वे कार्यमुक्त नहीं हुये हैं को पारस्परिक स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिकाओं का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती शशि बहुगुणा	हिन्दी	रा0इ0का0 हरियावाला, सहसपुर, देहरादून	सुगम	रा0इ0का0 काफलपानी, थौलधार, टिहरी	दुर्गम
1	श्रीमती आशालता	हिन्दी	रा0इ0का0 काफलपानी, थौलधार टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 हरियावाला, सहसपुर, देहरादून	सुगम
2	शूरवीर लाल	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 गातू, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 बाँगा, भटवाडी, उत्तरकाशी	सुगम
2	प्रेमलाल	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 बाँगा, भटवाडी, उत्तरकाशी	सुगम	रा0उ0मा0वि0 गातू, नौगांव, उत्तरकाशी	दुर्गम
3	वीरेन्द्र सिंह	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 काण्डी, यमकेश्वर, पौड़ी	सुगम	रा0इ0का0 कोट बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम
3	कु0 रीना	हिन्दी	रा0इ0का0 कोट बांगर, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0उ0मा0वि0 काण्डी, यमकेश्वर, पौड़ी	सुगम
4	श्रीमती उषा सकलानी	हिन्दी	रा0इ0का0 दुआधार, नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम	रा0इ0का0 डौक, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम
4	श्री अजब सिंह	हिन्दी	रा0इ0का0 डौक, नरेन्द्रनगर, टिहरी	दुर्गम	रा0इ0का0 दुआधार, नरेन्द्रनगर, टिहरी	सुगम

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.श.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पू0स0/सेवा.अराज./ 11973-84 /3क(2)/पारस्परिक स्था./2019-20 दिनांक उक्ताकिंत।

प्रतिलिपि:- निम्नाकिंत की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण के पश्चात अपडेट करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व भली परीक्षण कर लें कि क्या अध्यापक उसी विद्यालय में कार्यरत है जहां से स्थानान्तरण अनुमन्य किया गया है क्या विद्यालय की कोटि वही है जो स्थानान्तरण आदेश में उल्लिखित है। यदि विद्यालय एवं कोटिकरण में कोई अन्तर हो तो कार्यभार ग्रहण न करवाया जाय।
11. प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालय शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विद्यालय शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित अध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें व जिन अध्यापकों का दुर्गम में स्थानान्तरण किया गया है उनका आगामी 05 वर्षों तक स्थानान्तरण में कोई कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी